

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा

पीठासीन अधिकारी का नाम :- बृजेश कुमार (आर.ए.एस.) निर्णय दिनांक :- 08.01.2024  
मुकदमा नम्बर :- 57/2023 उनवान :- बुधराम सैनी बनाम राज0 सरकार

:- आदेश :-

प्रार्थी/अधिवक्ता व खाता दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र एवं पटवारी हल्का नरहड़ व भू0 अ0 निरीक्षक नरहड़ की रिपोर्ट व तहसीलदार चिडावा की अनुशंषा के आधार पर तथा राजस्थान भू-राजस्व 2 अधिनियम 1956 की धारा-136 के अनुसरण में राजस्व ग्राम नरहड़ तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं की जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 व खाता संख्या 888 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	नरहड़	खाता संख्या 888	1. बुधराम पुत्र मालाराम 2. रघुवीर पुत्र मालाराम 3. राजेन्द्र पुत्र मालाराम 4. श्रवण पुत्र मालाराम जातिगण जाट के स्थान पर	1. बुधराम पुत्र मालाराम 2. रघुवीर पुत्र मालाराम 3. राजेन्द्र पुत्र मालाराम 4. श्रवण पुत्र मालाराम जातिगण माली



बृजेश कुमार  
(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी, चिडावा  
चिडावा जिला झुंझुनूं (राज.)